

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाडमेर
नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.
वादीगण प्रतिवादीगण

प्रपत्र -5

अन्तिम डिक्री

वेनाराम 2 लाखाराम पिसरान
हीराराम 3 धनी पुत्री हीराराम जाति
जाट निवासी नांद तहसील व जिला
बाडमेर।

1 गेरों पुत्री टीकूराम पत्नी मोटाराम जाति जाट
हाल निवासी दुध डेयरी के पीछे वार्ड संख्या 34
बालोतरा तहसील पंचपदरा जिला बालोतरा 2
बूनाराम पुत्र वीरमाराम 3 पदमा पत्नी वीरमाराम
4 मेहाराम पुत्र बांकाराम के कायम मुकाम 4/1
बनाम देवाराम 4/2 ओमाराम पिसरान मेहाराम 5
जोगाराम 6 मूलाराम पिसरान बांकाराम 7
मोटाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी नांद
तहसील व जिला बाडमेर 9 प्रबन्धक जयपुर थार
ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 10 तहसीलदार
बाडमेर 11 मुकनाराम पुत्र पेमाराम जाति देवारी
निवासी बोडवा तहसील बायतु जिला बालोतरा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 207 व 209 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :- 211/2019

निर्णय दिनांक :- 27/08/24

वकील वादी पक्ष एवं वकील प्रतिवादी संख्या की उपस्थिति में इस वाद में
आज तारीख 27/08/24 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के
समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार
दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा जाणियावास पटवार हल्का नांद
तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 164 रकबा 18.04 बीघा भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा
तथा मौजा नांद पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 224 रकबा 106.04
बीघा व मौजा लापलनाडी (वर्तमान राजस्व ग्राम लिछमणोणी बेरडों का वास) पटवार हल्का नांद
तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 756/658 रकबा 107.07 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी में
घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विलोपित किया किया जाता
है। स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 10 व उनके परिवार के
सदस्यों के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जाणियावास पटवार हल्का नांद
तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 164 रकबा 18.04 बीघा भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा
तथा मौजा नांद पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 224 रकबा 106.04
बीघा व मौजा लापलनाडी (वर्तमान राजस्व ग्राम लिछमणोणी बेरडों का वास) पटवार हल्का नांद
तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 756/658 रकबा 107.07 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 10 व
उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करे एवं
मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। अतः तहसीलदार बाडमेर तदनुसार रहन के पश्चात
राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी
गई।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर
(फास्ट ट्रेक), बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़